संख्या- 1490/77-3-12-2(यूपीडा)/12

प्रेषक,

कौशल राज शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 28 सितम्बर,2012

विषयः- सार्वजनिक निजी क्षेत्र की सहभागिता (पी.पी.पी.) से आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना का विकास।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना को सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी.पी.पी.) के आधार पर क्रियान्वित किये जाने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद की सैद्धांतिक सहमति निम्नलिखित उपबंधो के अधीन दी गयी है :-

(i) प्रस्तावित परियोजना के पी.पी.पी. मॉडल पर विकास हेतु आवश्यक अध्ययन आदि कराये जाने हेतु सलाहकार एवं विकासकर्ता का चयन, औद्योगिक विकास विभाग के पत्रांक 1684/77-6-2007-एल.सी.21/2007,दिनांक 29.06.2007 द्वारा जारी दिग्दर्शिका तथा उसमें समय-समय पर किये गये संशोधनों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(ii) प्रस्तावित बहुउद्देशीय परियोजना के स्वामित्व एवं क्रियान्वयन हेतु औद्योगिक विकास विभाग द्वारा गठित उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को नोडल संस्था नामित किया जाता है।

(iii) परियोजना की बृहदता व तकनीकी विषमताओं को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नगरीय एवं विकास विभाग द्वारा अपने-अपने नोडल अधिकारी नामित किये जायेंगे, जो परियोजना के विकास तक सहायतार्थ उपलब्ध होंगे तथा सलाहकारों/विकासकर्ताओं आदि द्वारा प्रस्तावित कार्यो का समन्वय एवं उनके द्वारा प्रस्तुत विभिन्न रिपोर्ट आदि का परीक्षण व समीक्षा करेंगे तथा परियोजना हेतु गठित विभिन्न समितियों के समक्ष अपने टिप्पणियाँ प्रस्तुत करेंगे।

(iv) इस परियोजना को सार्वजनिक निजी क्षेत्र की सहभागिता के आधार पर विकसित किये जाने हेतु विभिन्न अध्ययन यथा-प्री-फिजीबिलिटी स्टडी आदि

कराकर एक तकनीकी, वित्तीय एवं आर्थिक दृष्टिकोण से सम्बल मॉडल विकसित किये जाने हेतु तथा निजी निवेशकर्ता का चयन आदि तथा तदोपरान्त इस सम्बन्ध में समन्वय, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण इत्यादि पर होने वाले व्यय को औद्योगिक विकास विभाग द्वारा बजट प्रावधान के माध्यम से प्रथमतः वहन् किया जायेगा। अन्ततोगत्वा यह व्यय परियोजना पर लोड किया जायेगा।

2. कृपया तद्नुसार प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कौशल राज शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या- ५७० (1)/77-3-12-2(यूपीडा)/12-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
(2) निजी सचिव,मुख्य सचिव,उ.प्र.शासन।
(3) निजी सचिव,प्रमुख सचिव,मा0मुख्य मंत्री,उ.प्र.शासन।
(4) गोपन अनुभाग-1/अवस्थापना विकास विभाग, उ.प्र.शासन।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभु शंकर)
उप सचिव।